न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून।

दिनांक 22.07.2023

पत्रावली पेश हुआ। अभियुक्त अनुपस्थित।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है, कि अभियुक्त के विरूद्ध बार–बार समन जारी किये जा रहे है। परन्तु अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नही हो रहा है। और न ही जारी किये गये प्रोसेस बाद तामील वापस प्राप्त हो रहे है। संभवतः अभियुक्त द्वारा दिया गया पता अधूरा अथवा गलत है। और ऐसी परिस्थिति में बार–बार अभियुक्त के लिए आदेशिका जारी किया जाना और लोक ध न तथा न्यायालय के समय का दुरूपयोग है। यह मामला समन वाद है और उपरोक्त परिस्थितियों में, मेरे मत में इस मामले की कार्यवाही धारा 258 द0प्र0स0 के अर्न्तगत बन्द की जानी उचित है।

तद्नुसार इस वाद की कार्यवाही धारा 258 द0प्र0स0 के अर्न्तगत बन्द की जाती है।

बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(लक्ष्मण सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
देहरादून।